Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **ग्राम रैवाना तहसील नीमराणा जिला कोटपूतली बहरोड़ में धर्मसिंह पटवारी 4500/- रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।**

जयपुर, दिनांक 09 जून, 2026। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. चौकी जयपुर नगर तृतीय जयपुर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये आरोपी **धर्म सिंह हाल पटवारी, पटवार हल्का दौसौद, तहसील नीमराणा अतिरिक्त चार्ज पटवार हल्का रैवाना, तहसील नीमराणा जिला कोटपूतली बहरोड़** को 4500/- **रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कि ए.सी.बी. चौकी जयपुर नगर तृतीय जयपुर को एक शिकायत इस आशय की मिली कि परिवादी की ग्राम तलवाना पटवार हल्का रैवाना तहसील नीमराणा जिला कोटपुतली बहरोड़ में खाता संख्या 287 खसरा सं. 328 रकबा 0.8200 हैक्टेयर शामलाती जमीन में अक्टूबर 2025 में बहनो का हक त्याग कराया था, जिस पर पटवारी धर्मसिंह द्वारा परिवादी से 10,000/- रूपये की रिश्वत राशि मांग की गई थी परन्तु परिवादी द्वारा राशि की व्यवस्था नही होने के कारण रिश्वत राशि नहीं दी गई। परिवादी द्वारा दिनांक 22.05.2026 को जमीन के सीमाकंन करने का आवेदन किया गया था। पटवारी धर्म सिंह ने उक्त सीमाकंन का कार्य करने की एवज में 10 हजार रूपये की मांग व पूर्व में किये नामान्तरण के काम के बदले 5,000/- रूपये की मांग की गई थी।

जिस पर रिश्वत मांग सत्यापन कराया गया तो आरोपी ने परिवादी से जमीन के सीमाकंन का कार्य करने की एवज में 5,000/-रूपये रिश्वत राशि मांगकर 500/- रूपये रिश्वत राशि कम कर 4500/- रूपये रिश्वत राशि लेने की सहमति प्रदान करने के तथ्य प्रकट हुए है।

जिस पर एसीबी जयपुर के **उप महानिरीक्षक-द्वितीय श्री ओम प्रकाश मीणा** के सुपरवीजन में ए.सी. बी. जयपुर नगर तृतीय जयपुर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ज्ञान प्रकाश** नवल के नेतृत्व में **उप अधीक्षक पुलिस** एवं अन्य के ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी को 4500/- रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।